तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मदनलाल बनाम तहसीलदार लक्ष्मणगढ़** **अपील संख्या 6/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00006)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02.05.24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। उन्हे पूर्व में अंतिम अवसर दिया गया था उसके बावजूद भी अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नही है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 25.03.2008 में अंकित किया है कि नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032–35, 2036–39, 2060–63 के अनुसार अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर आवंटन के बाद कोई काश्त नही की गई तथा अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार भी नही मिले है, खातेदारी अधिकार मिलने से पूर्व आवंटन शर्तों की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है, आवंटन शर्तों की पालना अनुसार मौके पर काश्त नही करने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है, के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2008 पारित किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन एवं प्रकरण पर मनन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2008 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपनी अपील के कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि अपनी अपील के संलग्न प्रस्तुत नही किया गया है जिससे आवंटन पश्चात् अपीलार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना किया जाना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2008 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2008 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर